फर्दअहकाम

(नियम– 26)

बिजअदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

[illegible]र्थीगण बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेलाराम पुत्र मांगाराम 2. थानाराम पुत्र मांगाराम जाति कलबी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. अधिशाषी अभिन्ता (Xean) सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD खयड गुड़ामालानी 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0...179/23.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
04.09.2023	प्रार्थीगण चेलाराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री हरीश चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. गुड़ामालानी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम आलपुरा पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 159/3 रकबा 4.9048 हैक्टेयर, की आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की ढाणियां, टांके व पशुबाडे आदि बने हुए हैं, वर्तमान में विप्रार्थीगण संख्या 1 अपने चहेतों को निजी लाभ पहुंचाने की नीयत से कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से जबरन सड़क मार्ग निमाकलने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर से सड़क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, चूंकि वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण कटान मार्ग छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर से जबरन सड़क बनाने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम आलपुरा पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 159/3 रकबा 4.9048 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थित बनाए रखें लेकिन कटान मार्ग पर सड़क निकालने [illegible] आदेश [illegible] नहीं होगा तथा सीमाज्ञान उपरान्त कटान मार्ग पर स्थगन प्रभ[illegible]ही [illegible]। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन [illegible] द्वारा [illegible] प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक [illegible]10.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / वि[illegible] (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

	बनाम	
जीसीएमएस संख्या		किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
04.10.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थीगण के मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण स्वयं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner